

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020-21/790

लखनऊ : दिनांक 11/05/2020

-:: कार्यालय ज्ञाप ::-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ/सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पांच-14-7(255)/13 दिनांक 13.01.2014, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीन पुनर्योजन/विस्तार के इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.05.2020 से 30.05.2020 तक ऑन-लाइन वेबसाइट <https://reappointmentportal.tsuprogram.com> पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं।

अतः वे सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी जो दिनांक 31.05.2020 तक सेवानिवृत्त हों वे नवीन पुनर्योजन तथा जिनकी नियुक्ति पुनर्योजन के माध्यम से महानिदेशालय के आदेश दिनांक 01.03.2019 एवं 17.07.2019 के मध्य जारी आदेशों द्वारा की गयी है, सेवा विस्तार हेतु वेबसाइट <http://dgmhup.gov.in> का अवलोकन कर दिनांक 15.05.2020 से 30.05.2020 तक वेबसाइट <https://reappointmentportal.tsuprogram.com> पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020-21/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
- 2- अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्क्वायर चतुर्थ तल, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

✓ निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020-21/

लखनऊ : दिनांक 11/05/2020

--: कार्यालय ज्ञाप :-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ/सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पांच-14-7(255)/13 दिनांक 13.01.2014, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीन पुनर्योजन/विस्तार के इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.05.2020 से 30.05.2020 तक ऑन-लाइन वेबसाइट <https://reappointmentportal.tsuprogram.com> पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं।

अतः वे सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी जो दिनांक 31.05.2020 तक सेवानिवृत्त हों वे नवीन पुनर्योजन तथा जिनकी नियुक्ति पुनर्योजन के माध्यम से महानिदेशालय के आदेश दिनांक 01.03.2019 एवं 17.07.2019 के मध्य जारी आदेशों द्वारा की गयी है, सेवा विस्तार हेतु वेबसाइट <http://dgmhup.gov.in> का अवलोकन कर दिनांक 15.05.2020 से 30.05.2020 तक वेबसाइट <https://reappointmentportal.tsuprogram.com> पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020-21/ 791-94

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक।

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
- 2- अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्वयाय चतुर्थ तल, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)